



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 20/2015

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. नारायणराम पुत्र गिरधारीराम
के कायम मुकाम :-
- 1/1 पुखाराम पुत्र नारायणराम
- 1/2 भंवरलाल पुत्र नारायणराम
- 1/3 सुवादेवी पुत्री नारायणराम
- 1/4 पपली पुत्री नारायणराम
- 1/5 रूकमादेवी पत्नी नारायणराम
2. मोहनलाल पुत्र राणाराम
3. मलाराम पुत्र राणाराम
4. श्रवणराम पुत्र राणाराम
जातियान जाट निवासीगण
हरियाड़ा, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

1. भूण्डाराम पुत्र भीकाराम जाति
जाट निवासी हरियाड़ा, तहसील
बिलाड़ा, जिला जोधपुर
2. दी बैंक ऑफ राजस्थान
शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 01.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम हरियाड़ा राजस्व लोकक अदालत में प्रस्तुत हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। इस प्रार्थना पत्र से सम्बंधित मूल राजस्व वाद में प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है अतः वकील प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस प्लीड करते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वकील प्रार्थी द्वारा नोट प्रेस करने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या 62/2015 नारायणराम बनाम भुण्डाराम वगैराह अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी. एक्ट 1955 के साथ संलग्न हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा